न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 108/2021 बउनवानी राधेश्याम जांगिड बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर पुत्र श्री बृजमोहन जांगिड, निवासी श्रीनाथपुरम, मकान नम्बर, 811 बी, कोटा

GCMS No-2021/312

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

23.12.2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 17.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्रीमान जी प्रार्थी द्वारा आपके पास भेजे गये प्रार्थना पत्र दिनांक दिनांक 23.7.2021 की छायाप्रति सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवायी जा रही है आपके द्वारा प्रार्थी की जमीन का तकासमा बटवारा कब तक करेगे जिसकी सूचनाः–
2. श्रीमान जी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2021 के अनुसार आपके द्वारा कब तक अब तक की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की सूचना तथा सम्पूर्ण नोटिस की प्रमाणित सूचना।
3. श्रीमान जी प्रार्थी द्वारा आपको भेजे गये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2021 के अनुसार आपके द्वारा किया गया तकासमा के नक्शा ट्रेस व चिन्हित जगह की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःसूकाअ/2021/3033 दिनांक 12.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 17.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 3 पर चाही सूचना प्रश्नात्मक एवं पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पूर्व मे उपलब्ध करवायी जा चुकी है जिसके संबंध में तहसीलदार के पत्रांक 5827 दिनांक 6.12.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनंक 17.10.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 पर चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा पूर्व मे अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना बताया गया है किन्तु बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना को प्रश्नात्मक बताया जाकर सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जबकि उक्त बिन्दुओं मे अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.7.2021 पर की गयी कार्यवाही से संबंधित सूचना चाही गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर [illegible] डूंगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को पत्र दिनांक 23.7.2021 [illegible] कार्यवाही की प्रमाणित सूचना उक्त तीनो बिन्दुओ के अनुसार 15 दिवस [illegible] निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible]शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:01:01 IST
Reason: SelfAttested